

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-05/आठ-परि/2020.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची—दो के सरल क्रमांक 1क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“1क	सहायक प्रोग्रामर	16	50%	50%	—	कुल पदों का 50 प्रतिशत पद ऐसे डाटा एन्ट्री आपरेटर से भरे जाएंगे जो सहायक प्रोग्रामर हेतु आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हों तथा पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।”

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1क	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकी/आपरेशनल रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी./एम.ए. या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी अथवा बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकी/आपरेशनल रिसर्च/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी	

3. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1क	डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष तथा अनुसूची-3 के कॉलम-5 में विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करता हो।	(1) अपर परिवहन आयुक्त -अध्यक्ष (2) संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त -सदस्य (3) संयुक्त संचा.(वित्त)/उप संचा. (वित्त)/लेखा- सदस्य (4)सहायक परिवहन आयुक्त -सदस्य सचिव	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 3rd September 2020

NOTIFICATION

F.No.f.5-05/trans-VIII/2020.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh class-III (clerical and non-clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the Schedule of said rules;-

1. For Serial no. 1A and entries relating thereto of schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1A.	Assistant Programmer	16	50%	50%	-----	50% post of total posts shall be filled by data entry operator those have fulfilled essential qualification for Assistant Programmer and completed five year service.

2. For Serial No. 1A and entries relating thereto of schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1A.	Assistant Programmer	21 year	30 year	B.E/B.Tech./B.Sc (Engineering) in 1st division or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade. OR Post Graduate in M.C.A/M.C.M./ Information Technology, M.Sc./M.A in first division in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics/Computer Science or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. OR Graduate in B.C.A/B.C.M./ Information Technology, Post Graduate Degree in Physics/Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics/B.Sc./B.A. Computer Science/Post Graduate Diploma in Computer Application in Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.	

3. After Serial No. 1 and entries relating thereto of schedule-IV, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1A.	Data entry operator	Assistant Programmer	5 year and hold educational qualification prescribed in column(5) of Schedule-III	1. Additional Transport Commissioner - President 2. Joint/Deputy Transport Commissioner- Member 3. Joint Director (finance), Deputy Director (finance/Account) - Member 4. Assistant Transport Commissioner - Member -Secretary	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.